न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 10/2023 ई.रे.

1– प्रताप दतक पुत्र किशना गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी

– प्रार्थी

बनाम

1– गंगाराम पिता काशीराम गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
2– गुलाबी पिता काशीराम गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
3– चतरभुज पिता अमरा गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
4– धन्ना पिता वरदा गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
5– धन्नी पत्नी काशीराम गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
6– नारू पिता काशीराम गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
7– भंवरी पिता काशीराम गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
8– लाली पिता काशीराम गायरी नि. खरदेवला तहसील बडीसादडी
9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी

–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि.</u>

// निर्णय // दिनांक :– 20/12/2024

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत खाता संख्या 231 की आराजी नं. 375, 376, 378, 597, 598, 600, 605, 614, 618, 623, 624, 625, 649 मौजा खरदेवला पटवार हल्का खरदेवला तहसील बडीसादडी में स्थित होकर है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात का अपने पूर्वजो के समय से हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर रखा है। मुख्य रास्ते की तरफ काशीराम के वारीसान अप्रार्थीगण नारू, गंगाराम, लाल, भंवरी, गुलाबी व धन्नीबाई को हक–हिस्सा स्थित है । उसके पश्चात अप्रार्थी चतरभुज का हक हिस्सा स्थित है व उसके पश्चात अप्रार्थी धन्ना का हक हिस्सा स्थित है। तथा अन्त में प्रार्थी का हक–हिस्से स्थित है। उक्त प्रकरणग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पुर्वजों के समय से बटवाडा करके सभी शांतिपूर्वक अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज है। उक्त आराजीयात के दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है जहां से होकर अप्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजीयात के पूर्व दिशा की तरफ करीब 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने मिलकर कायम कर रखा है। और इसी रास्ते से होकर प्रार्थी व अन्य लोग अपने–अपने हक हिस्से की आराजीयात पर आते–जाते है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजुद नहीं है। प्रकरणग्रस्त आराजीयात के पश्चिम दिशा में एक रिकोर्डेड रास्ता है किन्तु उसके पश्चात प्रकरणग्रस्त आराजीयात में एक रिकोर्डेड खाई मौके पर स्थित है जिस कारण उक्त रास्ते में प्रार्थी के खेत पर आना–जाना संभव नहीं है। प्रार्थी प्रकरणग्रस्त आराजीयात के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित आम रास्ते से अप्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे की आराजी ... 605 के पूर्व दिशा की तरफ स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते का उपयोग–उपभोग प्रार्थी शांतिपूर्वक ... करता चला आ रहा है। करीब 15 दिन पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खेत पर आने–जाने के ... रास्ते पर दो जगह कांटे की जाली लगा कर पूर्णरूप से बंद कर दिया ... कर दिया ... कारण प्रार्थी अपने खेत पर आने–जाने से वंचित हो ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:36:03 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब में बताया है कि उक्त प्रकरणग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलाती आराजीयात है। उक्त आराजी का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार बटवाड़ा किया जाना स्वीकार है तथा साथ ही आराजी नं. 614 व 605 का बटवाड़ा पश्चिम से पूर्व करते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी हरेक का हिस्सा खरदेवला से सोनीगरो का खेडा जाने वाले रिकॉर्डेट रास्ते से जुड़ा हो कर उक्त रास्ते का उपयोग सभी कर रहे है परन्तु राजस्व रिकोर्ड में विधिवत बटवाड़ा नहीं हुआ है खरदेवला से सोनीगरो का खेड़ा जाने वाले रिकॉर्डेट रास्ते का उपयोग प्रार्थी व अप्रार्थी कर

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

रहे है। आराजी नं. 605 की पूर्व दिशा में कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी किसी 12 फिट रास्ते का उपयोग नहीं कर रहा है तथा प्रार्थी ने नाजायज लाभ देने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अप्रार्थी के कब्जे कि आराजी से प्रार्थी को कोई लेना देना नहीं है तथा अप्रार्थी के कब्जे की आराजी में कोई रास्ता नहीं है तो उक्त रास्ते को बंद करने का सवाल पैदा ही नहीं होता तथा प्रार्थी का कोई हक रास्ते लेने बाबत शामलाती खातेदारी में पैदा नही होता तथा प्रार्थी न्यायालय को गुमराह करना चाहता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर केवल विपक्षीगण को जलील व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए के नियमो के तहत स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली एवं मंगायी गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रकरणग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है।

अतः प्रार्थना पत्र 251 ए का सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20 /12/2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:36:03 IST
Reason: SelfAttested